| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तिथि सहित |
|---|---|---|
| 8/8/25 | वाद सं. 84/25<br>BNSS 163<br><br>आदेश<br><br>उभय पक्ष के द्वारा दाखिल कागजात का अध्ययन करने, उभय पक्ष द्वारा दाखिल राजस्व दस्तावेजों साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि उभय पक्ष अलग-अलग स्वत्व संबंधी कागजातों के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर अपना-अपना दावा करते हैं। वादग्रस्त भूमि गैर मजरुआ खाते की है तथा उक्त भूमि की प्रकृति भी जात नहीं है। चूँकि उभय पक्ष के मध्य उत्पन्न विवाद स्वत्व (Title) से संबंधित है अतः किसी पक्ष के हित में या विरुद्ध कोई अंतिम आदेश पारित करना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष चाहें तो वाद के निपटारे हेतु सक्षम न्यायालय में युक्तियुक्त (appropriate) वाद दायर कर सकते हैं।<br>चूँकि मामला गैर-मजरुआ भूमि से संबंधित है तथा उभय पक्ष के द्वारा एक भी लगान रसीद दाखिल नहीं किया गया है अतः उपरोक्त भूमि पर प्रस्तुत | |

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तिथि सहित |
|---|---|---|
| | दावों की सूक्ष्मता से जाँच आवश्यक है अतः अंचल अधिकारी, बिरनी को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार उक्त दावों की जाँच करें तथा प्राप्त फलाफल के आधार पर विधिसम्मत निर्णय लेना सुनिश्चित करेंगे। <br><br> उक्त आदेश के साथ ही वाद की कार्यवाई समाप्त घोषित की जाती है। आदेश की प्रति उभय पक्ष, अंचल अधिकारी बिरनी तथा थाना प्रभारी बिरनी को भेजें। <br><br> लेखापित एवं संशोधित <br><br> 4/8/25 SDM Bagodar Saria.     4/8/25 SDM. | |

Digitally signed by localhost
Date: 2025.10.07 12:46:34 +05:30
Location: 10.150.169.141